उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1,

संख्या:- 2/2024/I/568133/2024-79-1011(004)/3/2022

लखनऊ, दिनांक: 24 मई, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन में तैनात श्री अतुल बाजपेई, समीक्षा अधिकारी, जो 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-05-2024 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा उनके अवकाश लेखे में उनके सेवानिवृत्ति के दिनांक 31-05-2024 को कुल 300 दिनों का उपार्जित अवकाश अवशेष है । श्री बाजपेई के प्रार्थना पत्र दिनांक 26-12-2023 के संदर्भ में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- सा-4-1283/दस-200-88, दिनांक 17-09-1988 तथा शासनादेश संख्या- सा-4-393/दस-99-200/88, दिनांक 01-07-1999 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री अतुल बाजपेई, समीक्षा अधिकारी, विधायी अनुभाग-2 को उनके अवकाश लेखा में उपलब्ध कुल 300 दिनों के अवशेष उपार्जित अवकाश के बदले नियमानुसार ग्राह्य अवकाश वेतन के समतुल्य धनराशि का भुगतान किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के लेखा शीर्षक " 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-115-छुट्टी नकदीकरण हितलाभ-03-सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण-02 दिनांक 08 नवम्बर, 2000 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश का नकदीकरण-33 पेंशन आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ के नामे डाला जायेगा ।"

(अतुल श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, प्रयागराज ।

2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

3- न्याय अनुभाग-8(लेखा), उत्तर प्रदेश शासन को एक अतिरिक्त प्रति सहित ।

4- श्री अतुल बाजपेई, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, विधायी विभाग, उ0प्र0 शासन ।

5- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह-तृतीय)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।